प्रेस विज्ञप्ति

वादिनी प्रीति देवी पति कामदेव शर्मा मोहल्ला रेलवे स्टेशन, पंडित नगर, थाना बिहार, जिला नालंदा दिनांक–01.10.15 को बिहार थाना पर उपस्थित होकर अपने पुत्र रवि कुमार उम्र 14 वर्ष को स्कूल जाने के क्रम मे अपहरण कर लेने तथा फिरौती के रूप मे मोवाईल नं0–7321072463 से पैसे की मॉग करने तथा धमकी देने के आरोप मे बिहार थाना कांड सं0–457/15 दिनांक–01.10.15 धारा–364ए/120बी भा0द0वि0 दर्ज कराया गया है, जिसमे पड़ोसी देवानंद एवं निकट संबंधी राजेश कुमार शर्मा पर संदेह व्यक्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व मे एक विशेष टीम का गठन किया गया, ताकि अपहृत छात्र की सकुशल बरामद करते हुए कांड का उदभेदन हो सके।

अनुसंधान के क्रम मे ज्ञात हुआ कि अपहरणकर्ता द्वारा दिनांक–01.10.15 को दो बार 70 लाख रूपया फिरौती की रकम की मॉग की गई। पुनः दिनांक–02.10.15 की शाम मे 20 लाख रूपया फिरौती की मॉग की गयी। फिरौती मॉगने के लिए प्रयुक्त मोवाईल के संबंध मे मोवाईल का विशलेषण से पता चला कि यह नया [illegible] नया मोवाईल है, जिस[illegible] गया है। पुलिस टीम [illegible] विवेक कुमार उर्फ मोदी हाल मोकाम बनौलिया की पहचान की गई। उसी क्रम मे दिनांक–02.10.15 को पुनः एक नये मोवाईल नं0 से फिरौती की मॉग की गई। अग्रतर अनुसंधान मे पूछताछ मे सीम विक्रेता विवेक उर्फ मोदी ने अर्नव उर्फ शिवम एवं अपने मकान मालिक का लड़का नीतीश कुमार द्वारा सीम लेने की बात वतायी गयी। इस अधार पर उक्त दोनो के संबंध मे स्थानीय जानकारी लेने पर पता चला कि ये मुन्ना कुमार पिता राजू यादव के साथ देखे गये है। इनका अपराधिक इतिहास होने की जानकारी मिली। उक्त सूचना पर 01.मुन्ना कुमार पिता राजू यादव साकिन गढ़पर थाना बिहार, जिला नालंदा को बिती रात 4/5.10.15 को गिरफतार किया गया, जिसने स्वीकार किया कि इस घटना की साजिश दो माह पूर्व मे रची गई थी जिसमे 02. नीतीश कुमार पे0 रामजतन यादव साकिन बनौलिया, थाना बिहार जिला नालंदा 03. विकास कुमार उर्फ माली पिता प्रहलाद मालाकार दोनो साकिन बनौलिया, थाना बिहार जिला नालंदा 04. विवेक कुमार उर्फ मोदीजी पे0 नंदकिशोर प्रसाद मूल निवासी साकिन माजिदपुर थाना मानपुर जिला नालंदा वर्तमान मे किरायेदार रामजतन यादव साकिन बनौलिया, थाना बिहार, जिला नालंदा, 05. विकास कुमार उर्फ रितेश कुमार पिता मुकेश कुमार साकिन चॉदी थाना अरियारी, जिला शेखपुरा वर्तमान हिमगंगे पानी सप्लाई, न्यू सीटी फैमली रेस्टूरेंट के नीचें, नाला पर बिहारशरीफ जिला नालंदा 06. रोहित कुमार पे0 चमरू गोप साकिन पतुऑना थाना बिहार, जिला नालंदा 07. सूरज कुमार पे0 कारू चौधरी साकिन पंडितनगर, थाना बिहार जिला नालंदा शामिल थे।

इस घटना को योजनवद्ध तरीके से घटना के दिन स्कूल जाने के रास्ते मे अपहृत (मृतक) का करीबी दोस्त सूरज कुमार अपहृत रवि कुमार को झॉसा मे लेकर डिजनीलैंड नाला रोड के निकट ले गया और डिजनीलैंड के सामने अवस्थित हिमगंगे पानी सप्लाई के मैनेजर विकास उर्फ रितेश के कमरे मे ले गया और अपहृत को वही वंद कर दिया गया। इसी दरम्यान लोकेशन बदल–बदलकर अपहरणकर्ता फिरौती की मॉग करते रहे। तत्पश्चात दिनांक–02.10.15 की रात्रि मे वाईपास मे चकरसुलपुर स्थित झाड़ी के पास ले जाकर तार से गला दबाकर अपहृत रवि कुमार की हत्या कर दिये। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कारवाई कर उपरोक्त अभियुक्तो मे से निम्नलिखित अभियुक्तो की गिरफतारी अलग–अलग जगहो से की गई एवं उनके स्वीकारोक्ति वयान के अधार पर अपहृत रवि कुमार का शव दीपनगर थाना अन्तर्गत चकरसलपुर वाईपास से देर रात्रि आज सुबह तीन बजे बरामद किया गया। इनके निशानदेही पर घटनास्थल से तार की बरामदगी की गई है एवं घटना मे प्रयुक्त हिरोहोंडा मोटरसाईकिल बी0आर0–27सी–2049 को बरामद किया गया है, जो नीतीश कुमार का वताया जाता है।

गिरफतारी :–07

01.मुन्ना कुमार पिता राजू यादव साकिन गढ़पर थाना बिहार, जिला नालंदा।
02. नीतीश कुमार पे0 रामजतन यादव साकिन बनौलिया, थाना बिहार जिला नालंदा
03. विकास कुमार उर्फ माली पिता प्रहलाद मालाकार दोनो साकिन बनौलिया, थाना बिहार जिला नालंदा
04. विवेक कुमार उर्फ मोदीजी पे0 नंदकिशोर प्रसाद मूल निवासी साकिन माजिदपुर थाना मानपुर जिला नालंदा वर्तमान मे किरायेदार रामजतन यादव साकिन बनौलिया, थाना बिहार, जिला नालंदा,
05. विकास कुमार उर्फ रितेश कुमार पिता मुकेश कुमार साकिन चॉदी थाना अरियारी, जिला शेखपुरा वर्तमान हिमगंगे पानी सप्लाई, न्यू सीटी फैमली रेस्टूरेंट के नीचें, नाला पर बिहारशरीफ जिला नालंदा
06. रोहित कुमार पे0 चमरू गोप साकिन पतुऑना थाना बिहार, जिला नालंदा
07. सूरज कुमार पे0 कारू चौधरी साकिन पंडितनगर, थाना बिहार जिला नालंदा

बरामदगी :– मोवाईल –12, हत्या मे प्रयुक्त :– तार, अपहरण मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल :– बी0आर0–27सी–2049